



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 18.09.22

**थाना सिहानी गेट क्षेत्रान्तर्गत निवासी डा0 अरविन्द वत्स अकेला को मिली व्हाट्सएप्प पर धमकी की फर्जी घटना का साइबर सेल,एसओजी एसपी सिटी1 एवं थाना सिहानी गेट पुलिस ने किया सफल खुलासा,डा0 द्वारा लोकप्रियता हासिल करने के लिए उनके पूर्व से परिचित एक मरीज की कॉल को बताया गया था जान से मारने की धमकी,फर्जी सूचना देने वाले डा0 के खिलाफ की जा रही है कार्यवाही**

थाना सिहानीगेट क्षेत्र के आवेदक डा0 अरविन्द वत्स अकेला द्वारा दिनांक 02.9.2022 को वाट्सएप पर धड तन से जुदा के सम्बन्ध में धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में थाना सिहानीगेट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 579/2022 धारा 507 भादवि पंजीकृत कराया गया था। उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनिराज जी. ने पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सिहानीगेट को टीम गठित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

आदेश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री नरेश कुमार शर्मा,प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल श्री सौरभ विक्रम सिंह एवं एसपी सिटी प्रथम की एसओजी टीम को घटना के खुलासे हेतु निर्देशित किया गया था।

**उपरोक्त प्रकरण** में गहनता से विवेचना की गयी पुलिस अधीक्षक नगर महोदय द्वारा गठित एसओजी टीम / साइबर सैल एव थाना सिहानीगेट की टीम द्वारा गहनता से जांच करने पर प्रकाश में आया कि आवेदक मुकदमा उपरोक्त डा0 अरविन्द वत्स अकेला चिकित्सा व्यवसाय करते हैं इनका लोहिया नगर थाना सिहानीगेट क्षेत्र में निजी क्लीनिक है।

उक्त घटना में कथित आरोपी अनीश कुमार पुत्र शंकर महतो मूल निवासी ग्राम केवानी जिला छपरा विहार हाल निवासी प्लॉट नं0 80 सैकेन्ड फ्लोर ग्राम खिडकी दिल्ली थाना मालवीय नगर उम्र करीब 23 वर्ष अस्थमा रोग से तीन चार वर्षों से पीडित है। अनीश कुमार के दोस्त करण सिंह ने इनकी मुलाकात अपने आफिस ग्राम खिडकी दिल्ली डा0 अरविन्द वत्स अकेला से दिनांक 27-28.8.2022 को करायी थी। जिसमें डा0 अरविन्द वत्स अकेला द्वारा अस्थमा रोग से पीडित अनीश कुमार को रोग के उपचार हेतु दवाइयां एवं डाईट आदि के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी।

दिनांक 02.9.2022 को अनीश कुमार द्वारा पैरो में सूजन एवं सांस लेने में दिक्कत होने के कारण अनीश कुमार द्वारा डा0 अरविन्द वत्स अकेला से अपने मोबाइल से अपना परिचय देते हुए इलाज के बारे में बातचीत की गयी एवं डा0 अरविन्द वत्स अकेला के कहने पर पैरो में आई हुई सूजन के फोटोग्राफ डा0 अरविन्द वत्स अकेला के व्हाट्सएप्प पर भेजे गये।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में सम्पूर्ण जांच से यह तथ्य प्रकाश में आये कि अस्थमा से पीडित अनीश कुमार उपरोक्त की वाट्सएप काल से पूर्व डा0 अरविन्द वत्स अकेला से पूर्व परिचय हो चुका था और डा0 अरविन्द वत्स अकेला द्वारा इन्हे बीमारी के इलाज के लिये सलाह दी गयी थी तथा दिनांक 02.9.2022 को भी इनके मध्य बीमारी के उपचार के सम्बन्ध में वार्ता हुई तथा फोटोग्राफ शेयर किये गये।

**इस प्रकरण में वादी डा0 अरविन्द वत्स अकेला को किसी प्रकार की धमकी दिया जाना प्रकाश में नहीं आया है डा0 अरविन्द वत्स अकेला द्वारा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से उक्त प्रकरण को बढा चढा कर सोशल मीडिया एवं पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।**

विवेचना से उक्त प्रकरण में डा0 अरविन्द वत्स अकेला द्वारा दी गयी झूठी सूचना के सम्बन्ध में इनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा 24 घण्टे में चोरी का सफल अनावरण कर 01 नफर अभियुक्त को चोरी के 03 अदद मोबाईल व एक ब्लूटूथ स्पीकर के साथ किया गिरफ्तार।**

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनीराज जी० के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय एवं थाना प्रभारी थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 18.09.2022 को चैकिंग के दौरान समय करीब 12.25 बजे सरदार फार्म हाउस के सामने से चौकी क्षेत्र सेवाधाम से 01 अभियुक्त निशान्त पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम बहादरपुर थाना मुरादनगर गा०बाद को चोरी के 03 अदद मोबाईल व एक ब्लूटूथ स्पीकर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से बरामद मोबाइल फोन व ब्लूटूथ के सम्बन्ध में पूर्व में थाना लोनी बार्डर पर मु०अ०स० 713/22 धारा 380 भादवि पंजीकृत है। अभि० को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. निशान्त पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम बहादरपुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष  
अभियुक्त निशान्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०स० 713/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना लोनी बोर्डर जनपद गा०बाद।
2. मु०अ०स० 361/22 धारा 60/63 आब०अधि० थाना मधुबन बापूधाम जनपद गा०बाद
3. मु०अ०स० 443/19 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मुरादनगर गा०बाद।
4. मु०अ०स० 38/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गा०बाद।
5. मु०अ०स० 1139/17 धारा 4/25 ए.एक्ट थाना सिहानी गेट जनपद ग०बाद।

### अभियुक्तगण से बरामद का विवरण-

- 1- 03 अदद मोबाइल फोन 1.पोको कम्पनी रंग काला मोडल F1 IMEI नं० 866021043359669  
2. एक सैमसंग कम्पनी का काला रंग टच फोन जिसका IMEI नं० 352405091712559 3. मोबाइल कीपैड आईटेल कम्पनी रंग काला जिसका IMEI 351892649724684
- 2- 01 अदद ब्लूटूथ स्पीकर

### गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1.उ०नि० मलखान सिंह थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।
- 2-उ०नि० यूटी विभान्शू तोमर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद
3. का० 08 कुलदीप थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद

थाना साहिबाबाद पुलिस व स्वाट टीम अपराध शाखा गाजियाबाद द्वारा 02 अभियुक्त को गिरफ्तार जिनके कब्जे से 10 किलो  
ग्राम गांजा अवैध बरामद।

**कार्यवाही:- कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम के सहयोग से स्वाट टीम अपराध शाखा गाजियाबाद द्वारा दिनांक: 17/09/2022 समय 16.30 बजे मुख्य मार्ग से हज हाउस की ओर लगभग 40 कदम पर थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद से 02 अभियुक्तगण को मय 10 किलो अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया।

#### **अपराध कारित करने का तरीका**

अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ मे बताया कि हम यह गांजा का कोराबार करते है तथा नशा करने वाले लोगो को यह गांजा बेचकर मुनाफा कमाकर अपना खर्चा चलाते है।

#### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. नाम मोनी उर्फ आशू पुत्र असगर अली नि० किराये का मकान आवास विकास कालोनी हापुड मूल निवास के०४४२ निकट ईदगाह सुन्दर नगरी दिल्ली उम्र करीब 33 वर्ष

2. रिजवान पुत्र नूर मोहम्मद नि० शकील चौधरी का मकान निकट जन्नती मस्जिद गरिमा गार्डन साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद मूल पता एम०१४४ सुन्दर नगरी दिल्ली

#### **अभि०गण का आपराधिक इतिहास**

मु०अ०स० 1507/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम मोनी उर्फ आशू

मु०अ०स० 1508/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम रिजवान

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

उ०नि० सत्यवीर सिंह स्वाट टीम अपराध शाखा जनपद गाजियाबाद

हे०का० 1402 इरफान

हे०का० 1469 खुर्शीद आलम

का० 0131 मनोज

का० 2554 मनोज

का० 2355 नीरज कुमार

#### **बरामदगी का विवरण**

10 किलो ग्राम गांजा अवैध

### **थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो मे कुल 18 अभियुक्त गण गिरफ्तार**

**कार्यवाही:- कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद द्वारा मय टीम के अलग अलग मामलो मे आज दिनांक 18.9.2022 को कुल 19 अभि०गण गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिनका विवरण निम्नवत है।

1. 13 अभियुक्त 151 सीआरपीसी
2. 02 अभियुक्त एनडीपीएस एक्ट
3. 01 अभियुक्त व 1 महिला अभियुक्ता संबंधित धारा 380/411 भादवि
4. 01 अभियुक्त संबंधित एक्सीडेंट



**थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा चोरी करने वाली 01 अभियुक्ता गिरफ्तार व चोरी का माल खरीदने वाला 01 अभियुक्त (ज्वैलर्स) को गिरफ्तार जिनके कब्जे से एक अदद मंगलसूत्र मय लाकेट, व दो अदद अंगूठी(एक लेडीज व एक जैंडस) पीली धातु चोरी के व कुल 11700/-रु नगद बरामद ।**

**कार्यवाही:-** कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 17/09/2022 समय 15.03 बजे ईदगाह रोड दयानन्द पब्लिक स्कूल के सामने साहिबाबाद जिला गाजियाबाद से 1 अभियुक्त व 1 अभियुक्ता को एक अदद मंगलसूत्र मय लाकेट, व दो अदद अंगूठी(एक लेडीज व एक जैंडस) पीली धातु चोरी के व कुल 11700/-रु नगद संबंधित मु0अ0स0 1502/22 धारा 380 भादवि सहित गिरफ्तार किया।



### **अपराध कारित करने का तरीका**

अभियुक्ता उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैंने अमित कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह नि0- सैक्टर 02, 2/86 राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद के घर से नोकरानी का काम करते हुये अल्मारी की चाबी पाकर उनकी अल्मारी में रखे सोने के जेवर चुरा लिये थे जो सोने के जेवर व पैसा आपको अभी मेरे पास से मिले हैं वे सभी अमित कुमार के घर से मेरे द्वारा चोरी किये गये जेवर हैं तथा पैसा कुछ जेवर को बेचने से प्राप्त हुआ है कुछ पैसे मैंने अपने खर्चों में खर्च कर दिये थे बाकी चुराये हुये जेवर मैंने तीन बार में मेरे घर के नीचे असलूफ पुत्र मौ0 अय्यूब नि0- ई 1/6 इकबाल कालोनी गरीमा गार्डन टीलामोड गाजियाबाद (साहिब ज्वैलर्स) को 78000/-रु में बेच दिये थे ।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

- 1.किरण पत्नी विक्की उम्र 28 वर्ष नि0 ईदगाह रोड दयानन्द पब्लिक स्कूल के सामने थाना टीलामोड गाजियाबाद
- 2.असलूफ पुत्र मौ0 अय्यूब नि0- ई 1/6 इकबाल कालोनी गरीमा गार्डन टीलामोड गाजियाबाद (चोरी का माल खरीदने वाला ज्वैलर)

### **अभि0गण का आपराधिक इतिहास**

मु0अ0स0 1502/22 धारा 380/411 भादवि

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

उ0नि0 नितिन चौधरी

उ0नि0 सुमित कुमार

का0 2461 सुनील कुमार

का0 2339 नसीम चौधरी

म0का0 2940 शालिनी

हैका0178 अमित कुमार

## बरामदगी का विवरण

एक अदद मंगलसूत्र मय लाकेट, व दो अदद अंगूठी(एक लेडीज व एक जैंडस) पीली धातु चोरी के व कुल 11700/-रु नगद संबंधित मु0अ0स0 1502/22 धारा 380 भादवि

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा चोरी करने वाला एक बाल अपचारी तथा चोरी का माल खरीदने वाले 02 कबाडी जिनके कब्जे 4 छत के पंखे के मोटर ,2 नल की टोटिया बेड का सिराहना (आगे व पीछे) लोहे का एक खाली गैस सिलिंडर एक इनवर्टर एक फ्रिज का मोटर संबंधित मु0अ0स0 1498/2022 धारा 380,457,411 भा0द0वि0 व 2 अदद नाजायज चाकू अवैध बरामद

**कार्यवाही:- कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 18/09/2022 समय 09.00 बजे लोहिया पार्क की ओर जाने वाले कट थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद से 1 बाल अपचारी व अभियुक्त दानिश पुत्र जहीर नि0-पसौंडा मो0 कुरैशियन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद व अभियुक्त अमजद अली पुत्र वकील मलिक नि0-सी 135 शहीद नगर साहिबाबाद गाजियाबाद को मय 4 छत के पंखे के मोटर ,2 नल की टोटिया बेड का सिराहना (आगे व पीछे) लोहे का एक खाली गैस सिलिंडर एक इनवर्टर एक फ्रिज का मोटर संबंधित मु0अ0स0 1498/2022 धारा 380,457,411 भा0द0वि0 व 2 अदद नाजायज चाकू अवैध सहित गिरफ्तार किया।



## अपराध कारित करने का तरीका

बालअपचारी उपरोक्त मैने अपने साथियों के साथ मिलकर लोहिया पार्क के पास से02 राजेंद्र नगर मे कई दिनो से चोरी किया करते थे चोरी किए गए सामान को दानिश पुत्र जहीर नि0-पसौंडा मो0 कुरैशियन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद व अमजद अली पुत्र वकील मलिक नि0-सी 135 शहीद नगर साहिबाबाद गाजियाबाद\_अन्य कबाड़ियो की दुकान पर जाकर चोरी गया माल सस्ते दामो मे बेच दिया करते जिससे हम अपने शौक दोस्तो के साथ पूरे किया करते थे साहब जो सामान हम लोगो ने चोरी किया था

## नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बाल अपचारी
2. दानिश पुत्र जहीर नि0-पसौंडा मो0 कुरैशियन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद(कबाडी)
3. अली पुत्र वकील मलिक नि0-सी 135 शहीद नगर साहिबाबाद गाजियाबाद(कबाडी)

## अभि0गण का आपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 1498/2022 धारा 380,457,411 भा0द0वि0 बनाम बाल अपचारी व दानिश व अमजदअली

मु0अ0स0 1512/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम दानिश दानिश

मु0अ0स0 1513/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम अमजद अली

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 राहुल अवस्थी

का0 2844 गोविंद कुमार

है0का0 178 अमित कुमार

### बरामदगी का विवरण

4 छत के पंखे के मोटर ,2 नल की टोटिया बेड का सिराहना (आगे व पीछे) लोहे का एक खाली गैस सिलिंडर एक इनवर्टर एक फ्रिज का मोटर संबंधित मु0अ0स0 1498/2022 धारा 380,457,411 भा0द0वि0 व 2 अदद नाजायज चाकू अवैध

**थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा 04 अभियुक्तों को चोरी की योजना बनाते हुए फर्जी नम्बर प्लेट लगी एक चोरी की एक मोटर साईकिल , एक लोहे की राँड व 4 अदद चाकू नाजायज व एक अदद आँटो सहित गिरफ्तार किया गया ।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों को चोरी की योजना बनाते हुए फर्जी नम्बर प्लेट लगी एक चोरी की एक मोटर साईकिल , एक लोहे की राँड व 4 अदद चाकू नाजायज व एक अदद आँटो सहित गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 18.09.2022 को रात्रि समय करीब 03-30 बजे कोयल एन्कलेव गेट के पास चैकिंग के दौरान थाना पुलिस टीम द्वारा 1.अरशद उर्फ इश्तियाक पुत्र मुश्ताक नि0 जाफराबाद दिल्ली हाल पता अशोक विहार लोनी तिराहे के पास थाना लोनी जनपद गाजियाबाद, 2. सोहेल पुत्र बबलू नि0 डी ब्लाक गली न0-4 (आसफ अली का किराये का मकान) दयालपुर थाना ज्योतिनगर दिल्ली, 3. चाद पुत्र शेर मो0 नि0 करण गेट चौकी के सामने बिलाल मस्जिद के पास पसौंडा थाना टीला मोड़ गा0बाद, 4.शाकिब पुत्र महबूब आलम नि0 मकान न0- 642 गली न-26 जाफराबाद थाना जाफराबाद दिल्ली को चोरी की योजना बनाते हुए 04 अभियुक्तों को एक फर्जी नम्बर प्लेट न0 DL5SCC4976 लगी एक चोरी की मोटर साईकिल स्पलेन्डर प्लस समबन्धित मु0अ0स0 220/2022 सेक्टर 31 फरीदाबाद हरियाणा व एक लोहे की राँड व 4 अदद चाकू नाजायज व मौके पर अभियुक्तगणों से मिला एक अदद आँटो न0 DL1RP5375 सीज शुदा सहित गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 475/22 धारा 401,414,482,411/34 भादवि बनाम 1. अरशद उर्फ इश्तियाक 2. सोहेल 3. चाद 4.शाकिब उपरोक्त तथा मु0अ0सं0 476/22 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम अरशद उर्फ इश्तियाक उपरोक्त व मु0अ0सं0 477/22 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम सोहेल उपरोक्त व 478/22 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम चाँद उपरोक्त व मु0अ0सं0 479/22 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम शाकिब उपरोक्त पंजीकृत किये गये ।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. अरशद उर्फ इश्तियाक पुत्र मुश्ताक नि0 जाफराबाद दिल्ली हाल पता अशोक विहार लोनी तिराहे के पास थाना लोनी जनपद गाजियाबाद,
  2. सोहेल पुत्र बबलू नि0 डी ब्लाक गली न0-4 (आसफ अली का किराये का मकान) दयालपुर थाना ज्योतिनगर दिल्ली,
  3. चाद पुत्र शेर मो0 नि0 करण गेट चौकी के सामने बिलाल मस्जिद के पास पसौंडा थाना टीला मोड़ गा0बाद,
  4. शाकिब पुत्र महबूब आलम नि0 मकान न0- 642 गली न-26 जाफराबाद थाना जाफराबाद दिल्ली
- बरामदगी का विवरण –**

1. एक फर्जी नम्बर प्लेट न0 DL5SCC4976 लगी एक चोरी की मोटर साईकिल स्पलेन्डर प्लस समबन्धित मु0अ0स0 220/2022 सेक्टर 31 फरीदाबाद हरियाणा व
2. एक लोहे की राँड
3. सभी अभियुक्त से एक – एक अदद 04 चाकू नाजायज
4. मौके पर अभियुक्तगणों से मिला एक अदद आँटो न0 DL1RP5375 सीज शुदा सहित

### **अपराधिक इतिहास अभियुक्त**

1. मु0अ0स0 475/22 धारा 401,414,482,411/34 भादवि बनाम 1. अरशद उर्फ इश्तियाक 2. सोहेल 3. चाद 4. शाकिब उपरोक्त
  2. मु0अ0सं0 476/22 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम अरशद उर्फ इश्तियाक उपरोक्त
  3. मु0अ0सं0 477/22 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम सोहेल उपरोक्त
  4. 478/22 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम चाँद उपरोक्त व
  5. मु0अ0सं0 479/22 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम शाकिब
- अभि0गण के अन्य आपराधिक इतिहास को ज्ञात किया जा रहा है।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 प्रवीन कुमार मलिक थाना टीला मोड़ गा0बाद
2. हे0का0 1679 दिनेश कुमार थाना टीला मोड़ गा0बाद
3. हे0का0 1676 राजीव कुमार थाना टीला मोड़ गा0बाद
4. का0 1366 सोविन्दर थाना टीला मोड़ गा0बाद



**थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र मे दिनाक 10.09.22 मे हुई हत्या का थाना इन्दिरापुरम पुलिस ने किया खुलासा .**

**हत्या करने वाले दो अभियुक्त मय हत्या मे प्रयोग किये गये पत्थर सहित गिरफ्तार ।**

**कार्यवाही -** श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन मे व पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के कुशल नेतृत्व मे तथा क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे थाना इन्दिरापुरम पुलिस को उस समय सफलता प्राप्त हुई है जब थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र के आकांशा एकलेव के पास दिनाक 10.09.2022 मे गुड्डू उर्फ गौलू की हत्या की घटना का खुलासा करते हुये आज दिनाक 18.09.22 को समय करीब 12.30 बजे गौर ग्रीन चौराहे के पास एनएच 24 से 02 अभियुक्तो को मय घटना मे प्रयोग किये गये रक्तरंजित पत्थर समेत गिरफ्तार किया गया. इस प्रकरण के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0स0 1180/22 धारा 304 आईपीसी पंजीकृत किया गया था । गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगणो के नाम निम्नवत है .

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

- 1- तौफिक पुत्र मौहैदर नि0 बबलू त्यागी का मकान मे किरायेदार ग्राम मकनपुर मूल पता ग्राम बलीपुर परशुराम 0 थाना हथोरी जिला समस्तीपुर बिहार
- 2- गंगेश पुत्र शिव काझां नि भोला 0 के मकान ग्राम मकनपुर निकट माता चौक गा0बाद मूल पता ग्राम बलीपुर परशुराम थाना हथोरी जिला समस्ती पुर बिहा

**घटना का विवरण** -दोनो अभियुक्तगणो से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम तीनो शाम को एक साथ बैठकर शराब पीते थे .दिनाक 10.09.22 के दिन तौफिक , मंगेश व मृतक गुडडु उर्फ गोलू शाम के समय घर से शराब पीने खोडा देशी शराब के ठेके पर पहुंचे थे वहाँ से शराब खरीदी तथा तीनो आकाक्षां इन्कलेव के पास खाली पडे प्लाट पर पहुंचे। वहाँ पर पहुंचकर तीनो ने शराब पी .शराब पीने के दौरान ही मृतक गुडडु हम दोनो को गाली गलौज कर रहा था .मना करने पर भी मान नहीं रहा था .तभी हम दोनो ने एक पत्थर उठाकर उसके मूँह पर मार दिया जिससे वह घायल होकर गिर गया .हम घबरा गये . हमने वह पत्थर उठाकर वही पार्क मे ही थोडी दूरी पर छिपा दिया और हम वहा से भाग गये थे . सुबह को हमे पता चला कि उसकी मृत्यू हो गयी है .तभी से हम लोग छिपते छिपाते घूम रहे थे

**बरामदगी**

1-घटना मे प्रयुक्त रक्तरंजित पत्थर

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त तौफिक व गंगेश**

1.मु0अ0स0 1180/22 धारा 304 आईपीसी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

**अभियुक्तगणो को गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री देवपाल सिंह पुन्डीर
- 2- उ0नि0 अर्जुन सिंह



- 3- है0का0 तरुण कुमार
- 4- है0का0 1325 औंकार सिंह
- 5- का0 2268 राजीव पंवार

**थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद (दिनांक:- 18/09/2022)**

**थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा वायरल विडियो मे एलीवेटिड रोड पर जन्मदिन मनाते हुये हुडदंग व उत्पात मचाने वाले 02 अभियुक्तगणो को क्रैटा गाडी सहित किया गिरफ्तार .**

**कार्यवाही -** श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना इंदिरापुरम पुलिस को उस समय सफलता प्राप्त हुई जब दिनांक 13.9.22 को अभियुक्त मुकुल मल्होत्रा के जन्मदिन को मनाने के लिये एलीवेटिड रोड पर क्रैटा गाडी व मोटरसाईकिल उल्टी सीधी खडी कर उत्पात व हुडदंग मचाने वाले 02 अभियुक्तो को दिनांक 18.09.22 को समय करीब 02.50 बजे वसुंधरा रैड लाईट नर्सरी के पास से वायरल विडियो मे दिख रही क्रैटा गाडी सहित गिरफ्तार किया गया तथा क्रैटा गाडी को 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है . इस प्रकरण के सम्बन्ध मे थाना इन्दिरापुरम पर मु0अ0स0 **1216/22 धारा 147/148/188/269/341/323/504/506 भादवि व 7 CLA** एक्ट पंजीकृत किया गया था . गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगणो के नाम पता निम्नवत है .

**गिरफ्तार अभियुक्तगण -**

- 1- मुकुल मल्होत्रा पुत्र विनोद मल्होत्रा नि0 म0न0 92 प्रेम नगर गौशाला रोड़ थाना कोतवाली गा0बाद
- 2- मोहित महता पुत्र अशोक महता नि0 म0न0 138 नेहरू नगर नासिरपुर फाटक के पास थाना सिहानीगेट गा0बाद

**घटना का विवरण**

कुछ लोगो द्वारा एलीवेटिड रोड पर जन्म दिन मनाते हुए उत्पात हुडदंग करते हुए एक विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसकी जाँच पडताल के बाद पाया गया की वीडियो रोटरी गोल चक्कर की ओर से दिल्ली जाने वाले एलीवेटिड रोड़ पर रेलवे लाइन के ऊपर आस पास का है ।जानकारी करने पर मालुम हुआ कि दि0 13/09/2022 को अभियुक्त मुकुल मल्होत्रा का जन्म दिन था जो अपने दोस्तो आदि के साथ रात्रि करीब 00.30 बजे के लगभग एलीवेटिड रोड के बीचो बीच जन्म दिन मना रहे थे व रोड पर गाडी क्रैटा कार न0 UP14DX-1027 व अन्य मोटर साइकिलो को उल्टी सीधी खडा किया हुआ था और लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजाकर आने जाने वाले लोगो के रासते को अवरोध कर उनके जीवन को संकट मे डाल रहे थे तथा हुडदंग उत्पात मचाते हुए डण्डे लेकर आने जाने वाले वाहन चालकों के साथ रास्ता रोके रहे थे तथा धमकी दे रहे थे तथा आतिशबाजी का प्रयोग कर रहे थे .

**आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण मुकुल व मोहित**

**1- मु0अ0स0 1216/22 147/148/188/269/341/323/504/506 भादवि व 7 CLA एक्ट बरामदगी का विवरण -**

क्रैटा गाडी न0 युपी 14 डीएक्स 1027

**गिरफ्तार करने वाली टीम -**

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री देवपाल सिंह पुन्डीर

2- उ०नि० अंकुल कुमार

3- है०का० 912 हंसराज

4- का० 248 धीरज